# UPPCS 2025 प्रिलिम्स परिणाम रद्द, नई मेरिट सूची के बाद फिर मेंस

समाचार-संदर्भ: 2026-11-27
प्रकाशन: 27 नवंबर 2026




मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

▼ इस लेख में


- खबरों में क्यों
- आदेश में क्या कहा गया
- क्या प्रिलिम्स का पेपर फिर होगा
- अनारक्षित सूची का विवाद क्या था
- अभ्यर्थियों के लिए इसका अर्थ
- आगे की राह
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- आधिकारिक स्रोत
- संबंधित अभ्यास


## खबरों में क्यों

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, UPPCS 2025 का 1 दिसंबर 2025 को घोषित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया है। न्यायालय ने आयोग को प्रिलिम्स की मेरिट सूची दोबारा बनाने और उसके आधार पर मुख्य परीक्षा नए सिरे से कराने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने 27 नवंबर 2026 को संजय कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में यह निर्णय दिया। मामला आरक्षित वर्ग के अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित सूची में शामिल करने के तरीके से जुड़ा था।

## आदेश में क्या कहा गया

- **परिणाम रद्द:** 1 दिसंबर 2025 को घोषित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम निरस्त किया गया है।
- **नई मेरिट सूची:** विज्ञापन संख्या A-1/E-1/2025 के अंतर्गत अगले चरण के लिए योग्य अभ्यर्थियों की प्रिलिम्स मेरिट सूची दोबारा बनेगी।
- **मुख्य परीक्षा दोबारा:** संशोधित प्रारंभिक परिणाम के आधार पर आयोग मुख्य परीक्षा नए सिरे से कराएगा और चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
- **शर्त 19 रद्द:** विज्ञापन की शर्त संख्या 19 भी निरस्त की गई है। न्यायालय ने कहा कि इसका आधार 9 जनवरी 2020 का कार्यालय ज्ञाप था, जो संबंधित APO मामले में पहले ही रद्द किया जा चुका है।

ये निर्देश निर्णय के अनुच्छेद 188 से 191 में स्पष्ट हैं।

## क्या प्रिलिम्स का पेपर फिर होगा

इस निर्णय में प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्नपत्र दोबारा कराने का निर्देश नहीं है। आदेश में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम और मेरिट सूची दोबारा तैयार करने को कहा गया है। इसके बाद मुख्य परीक्षा दोबारा होनी है। इसलिए केवल 'परीक्षा फिर होगी' लिखना अधूरा है और पाठकों को प्रिलिम्स के नए पेपर का भ्रम हो सकता है।

निर्णय में नई मुख्य परीक्षा या संशोधित परिणाम की घोषणा के लिए कोई कैलेंडर तारीख नहीं दी गई है।

निर्णय के अनुच्छेद 187 के अनुसार मुख्य परीक्षा हो चुकी थी और सफल अभ्यर्थियों के केवल रोल नंबर घोषित हुए थे। 28 सितंबर 2026 के अंतरिम आदेश से साक्षात्कार परिणाम की घोषणा रुकी थी और अंतिम चयन सूची तैयार नहीं हुई थी।

## अनारक्षित सूची का विवाद क्या था

**अनारक्षित या ओपन श्रेणी** का अर्थ ऐसी सूची है जो केवल उन अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं है जिन्होंने आरक्षण का दावा नहीं किया। लागू नियमों के अनुसार अपनी मेरिट के आधार पर योग्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी इसमें स्थान पा सकते हैं।

न्यायालय ने पाया कि आयोग की अपनाई हुई प्रक्रिया ने अधिक मेरिट वाले आरक्षित अभ्यर्थियों को भी उनकी अपनी श्रेणी में सीमित रखा। इससे उस श्रेणी में उनसे नीचे आने वाले अभ्यर्थियों के अगले चरण तक पहुँचने के अवसर प्रभावित हुए। न्यायालय ने इस प्रकार अनारक्षित श्रेणी को केवल गैर-आरक्षण दावा करने वालों के लिए सीमित करना स्वीकार नहीं किया।

इसे आरक्षण समाप्त करने या आरक्षण का प्रतिशत बदलने का आदेश नहीं समझना चाहिए। विवाद चयन के विभिन्न चरणों में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के समायोजन का था। छूट और पात्रता से जुड़े किसी व्यक्ति-विशेष के मामले में लागू भर्ती नियम और पूरा निर्णय देखना ज़रूरी है।

## अभ्यर्थियों के लिए इसका अर्थ

यह आदेश पुराने प्रिलिम्स परिणाम और उसी आधार पर आगे बढ़ी चयन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। लेकिन इससे किसी अभ्यर्थी के स्वतः सफल होने, मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने या नियुक्ति मिलने की घोषणा नहीं होती। नई पात्रता स्थिति आयोग की संशोधित सूची से स्पष्ट होगी।

अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम, मुख्य परीक्षा और अन्य निर्देशों के लिए UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट देखनी चाहिए। आदेश को नई परीक्षा-तिथि की अधिसूचना मानकर तैयारी या आवेदन से जुड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए।

## आगे की राह

अब न्यायालय के निर्देशों के अनुसार संशोधित मेरिट सूची और आगे की परीक्षा प्रक्रिया पर आयोग की आधिकारिक सूचना महत्वपूर्ण होगी। इस लेख में किसी अपील, स्थगन आदेश या नए परीक्षा कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की जा रही है। ऐसी कोई सूचना आने पर उसे अलग आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँचना होगा।

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

**क्या पूरी UPPCS 2025 भर्ती समाप्त कर दी गई है?**

आदेश चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहता है, लेकिन संशोधित प्रिलिम्स मेरिट सूची और उसके बाद नई मुख्य परीक्षा के आधार पर। इसे भर्ती स्थायी रूप से बंद करने का आदेश कहना ग़लत होगा।

**क्या पहले मुख्य परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थी नई मुख्य परीक्षा में स्वतः बैठेंगे?**

आदेश अगले चरण की पात्रता संशोधित प्रिलिम्स परिणाम से जोड़ता है। किसी व्यक्ति की पात्रता आयोग की नई सूची और आधिकारिक निर्देशों से ही स्पष्ट होगी।

**क्या न्यायालय ने नए कटऑफ अंक घोषित किए हैं?**

निर्णय के अंतिम निर्देशों में नए कटऑफ अंकों की सूची नहीं दी गई है। आयोग को प्रिलिम्स की मेरिट सूची दोबारा तैयार करनी है।

## आधिकारिक स्रोत

इलाहाबाद हाईकोर्ट: संजय कुमार एवं अन्य, Writ-A 14971/2026, 27 नवंबर 2026, विशेष रूप से अनुच्छेद 188–191।

## संबंधित अभ्यास

UPPCS के पिछले प्रश्नों का अभ्यास

UP APO 2025: संबंधित निर्णय